कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6वॉ तल उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2020/1070 लखनऊः दिनांक 30 जून, 2020

यू0पी0 नीट पी0जी0–2020 की द्वितीय चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग हेतु महत्वपूर्ण सूचना/दिशा निर्देश

- द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चक्र की कांउसिलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हे पुनः रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नही है। केवल नये अभ्यर्थियों को ही रजिस्ट्रेशन कराना है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर दिया गया है परन्तु किन्ही कारणों से रजिस्ट्रेशन प्रकिया सम्पन्न नही कर सके थे, वह अभ्यर्थी बिना रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा किये रजिस्ट्रेशन प्रकिया सम्पन्न करते हुये द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की कांउसिलिंग में रजिस्ट्रेशन नही करा सके है, वे अभ्यर्थी रू0 3000/– रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर अपना रजिस्ट्रेशन प्रकिया पूर्ण करते हुये द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम चक्र की कांउसिलिंग से आवंटन प्राप्त हो गया था, परन्तु प्रवेश नही लिया गया है, वे पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा कर द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है, किन्तु उन्हे पुनः रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नही है।
- **निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी से पुनः अपेक्षा है कि संबंधित कालेज के बारे में स्वयं अथवा उनके अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस लॉक करें।**
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चक्र की कांउसिलिंग में राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु सिक्योरिटी धनराशि रू0 30,000/– जमा की थी, किन्तु उन्हे कोई सीट आवंटित नही हुयी है, और वह निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल की सीटो हेतु प्रवेश हेतु इच्छुक है तो वह निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम की सीटो हेतु रू0 2,00,000/–तथा निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु रू0 100,000/–जमा करते हुये द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।
- सिक्योरिटी धनराशि के रूप में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों की सीटों हेतु रू0 30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र) निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों हेतु रू0 2,00,000/–(रूपये दो लाख मात्र) तथा निजी क्षेत्र के डेंटल कालेजों की सीटों हेतु रू0 1,00,000/–(रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) **नेट बैंकिग, केडिट कार्ड व एन0ई0एफ0टी0** (NEFT), ई–चालान के माध्यम से आन–लाईन भुगतान **(रजिस्ट्रेशन के उपरान्त)** करते हुये कांउसिलिंग प्रक्रिया में **बैंक द्वारा एम0आई0एस0/भुगतान की पुष्टि होने के उपरान्त ही विकल्प (च्वाईस) भर सकते** है।

- प्रथम चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से पुनः नयी सीट आवंटित होती हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रथम चक्र से आवंटित नोडल सेन्टर से प्रवेश से संबंधित समस्त प्रमाण तथा शिक्षण शुल्क की रसीद के साथ पुनः नयी आवंटित सीट के नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रकिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- **द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग के माध्यम से नयी सीट आवंटित होने पर प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित सीट का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा, वह सीट किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। नयी सीट आवंटित होने पर अभ्यर्थी को नोडल सेन्टर पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा, रिपोर्ट न करने की स्थिति मे आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा प्रथम चक्र से प्रवेशित सीट रिटेन (Retain)** नही रहेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- **प्रथम चक्र की कांउसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में पूर्व में प्रवेशित सीट पुनः आवंटित हो गयी है, ऐसे अभ्यर्थियों को भी आवंटित सीट पर नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रकिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।**
- **ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने उ0प्र0 राज्य की प्रथम चक्र की कांउसिलिंग से प्रवेश ले लिया है तथा द्वितीय चक्र की कांउसलिंग में उन्हे कोई नयी सीट आवंटित नही होती है अथवा द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग नही कर रहे है, वह सभी अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग का परिणाम घोषित होने के उपरान्त अपने प्रवेशित कालेज में सीधे रिपोर्ट करेंगें।**
- द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से नयी सीट आवंटित होने पर, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय संबंधित नोडल सेंटर पर शिक्षण शुल्क की अन्तर की धनराशि (यदि शिक्षण शुल्क अधिक है) का बैंक ड्राफ्ट जो **DIRECTOR GENERAL, MEDICAL EDUCATION & TRAINING, U.P. PAYABLE AT LUCKNOW** के नाम देय हो जमा किया जायेगा तथा यदि कालेज का शिक्षण शुल्क कम है, तो उस स्थिति मे अन्तर की धनराशि कालेज की सिक्योरिटी/छात्रावास शुल्क मे समायोजित की जायेगी।
- द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से निजी क्षेत्र के कालेजो मे आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को आवश्यक मूल प्रमाण–पत्र व आवंटित कालेज की **शिक्षण शुल्क** का बैंक ड्राफ्ट जो **DIRECTOR GENERAL, MEDICAL EDUCATION & TRAINING, U.P. PAYABLE AT LUCKNOW** के नाम देय होगा, नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- यदि सीट अपग्रेड नहीं होती है, तो प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित (प्रवेशित) सीट यथावत् बनी रहेगी। ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग का परिणाम घोषित होने के उपरान्त सीधे प्रवेशित कालेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।
- द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से राजकीय क्षेत्र के कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्रों के साथ संबंधित कालेज में फीस जमा कर प्रवेश प्रकिया सम्पन्न करेंगें।
- द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी कालेज/नोडल सैंन्टर पर प्रवेश प्रकिया सम्पन्न कर प्रवेशित कालेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।

- च्वाईस फिलिग के उपरान्त च्वाईस लाक किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में काउंसिलिंग प्रकिया में अभ्यर्थी को सम्मिलित नही किया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- ऑल इण्डिया कोटा की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी उ0प्र0 राज्य की द्वितीय चक की काउंसिलिंग हेतु अर्ह नही होगें।
- निजी क्षेत्र के कतिपय मेडिकल कालेजों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु शुल्क निर्धारण संबंधी शासनादेश दिनांक 17.03.2020 को मा0 उच्च न्यायालय/फीस एपीलेट ऑथारिटी में याचिका/अपील योजित की गयी है, जिसके संबंध में सूचना पूर्व में ही विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा चुकी है। अतः उक्त को संज्ञान मे लेने के पश्चात् ही च्वाईस फिलिंग की प्रकिया पूर्ण करें।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा अभ्यर्थियों को दिये जाने वाले छात्र–वेतन का निर्धारण शासन/महानिदेशालय स्तर से नही किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि च्वाईस फिलिंग के पूर्व छात्र–वेतन एवं अन्य सूचनाओं के बारे में कालेज से स्वयं सम्पर्क स्थापित करें।
- अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट ***https://upneet.gov.in &*** ***www.updgme.in*** पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

महानिदेशक